



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारी - त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 35 / 2020
शायरी दिनांक : 15.08.2020

- उनवान**
1. मुकेश पुत्र तेजराम जाति बैरवा निवासी ग्राम अलियाबाद तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
 2. रतनलाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम अलियाबाद तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
 3. लाडू पुत्र श्योराम जाति बैरवा निवासी ग्राम अलियाबाद तहसील निवाई जिला टोंक (राज0)
- प्रार्थीगण

- बनाम**
1. तहसीलदार निवाई
- अप्रार्थी

उपस्थिति-

1. श्री भागचन्द बैरवा (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक:- 18.8.21

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की ग्राम अलियाबाद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 18/20 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा 18/19 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 18/6 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल कित्ता तीन कुल रकबा 8 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के आस-पास के खातेदार जबरन प्रार्थीगण की कृषि भूमि को दबाने पर आमादा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचारधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया जाकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुये पत्थरगढी किये जाने हेतु कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2073-76 खाता संख्या 144,162 व 271 एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजियों के खातेदार हैं एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं ग्राम अलियाबाद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 18/20 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा 18/19 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 18/6 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल कित्ता तीन कुल रकबा 8 बीघा भूमि बशामलात पट्टीसीयान पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कमिश्नर फीस के 500/- वक्ता पत्थरगढी प्रार्थीगण मौका पर जमा करेगा। पत्थरगढी शुल्क की राशि नियमानुसार राजकाश में जमा हान पर पालनार्थ तहसीलदार निवाई को जिखे जावे।

निर्णय दिनांक 18/8/2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र निलंबित शुमार डोकर नम्बर 10 के तहत है।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई